

मृत्यु-व-निवृत्ति उपदान के लिए नामन
Nomination for Retirement Gratuity / Death Gratuity

बशर्ते कि सरकारी कर्मचारी का परिवार हो और वह परिवार के किसी सदस्य को नामांकित करना चाहता हो।
(When the Government servant has a family and wishes to nominate one member or more than one member, thereof.)

नौकरी में रहते हुए मेरी मृत्यु जो जाने की स्थिति में सरकार द्वारा मंजूर किये जाने वाले उस उपादान को प्राप्त करने के लिए मैं निम्नलिखित व्यक्ति को, जो मेरे परिवार का सदस्य है, नामांकित करता हूँ और अधिकार देता हूँ जो मेरे सेवानिवृत्त होने पर मुझे देय हो और जिसकी अदायगी मेरी मृत्यु के समय तक नहीं की गई हो।

I, hereby nominate the person/persons mentioned below who is /are member(s) of my family, and confer on him/them the right to receive, to the extent specified below, any gratuity the payment of which may be authorized by the Central Government in the event of my death while in service and the right to receive on my death, to the extent specified below, any gratuity which having become admissible to me on retirement may remain unpaid at my death---

नामती का नाम और पता Names and addresses of nominee/nominees	सरकारी कर्मचारी से संबंध Relationship with the Government Servant	आयु Age	वे परिस्थितियाँ जिनके होने पर नामांकित अवैध माना जायेगा Amount and share of gratuity payable to each.	उस व्यक्ति व्यक्ति का नाम, पता और संबंध जिसको उपदान प्राप्त करने का अधिकार होगा बशर्ते कि नामिती की मृत्यु सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद किंतु उपदान की राशि प्राप्त करने से पहले हो गई हो। Name, address, relationship and age of the person or persons, if any, to whom the right conferred on the nominee shall pass in the event of the nominee predeceasing the Government servant or the nominee dying after the death of the Government servant but before receiving payment of gratuity.	प्रत्येक व्यक्ति को देय अनुदान के हिस्से से Amount or share of gratuity payable to each

यह नामांकन मेरे द्वारा तारीख -----को किए गए नामांकन का अधिक्रमण करता है और उसे रद्द समझा जाए।

This nomination supersedes the nomination made by me earlier on which stands cancelled.

तारीख (Date) _____ मास (Month) _____

गवाह के हस्ताक्षर (Witnesses to signature)

1. _____

2. _____

अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर
Signature of Government servant

नोट:- आखिरी कॉलम में उपदान की संपूर्ण राशि का उल्लेख किया जाए।
In the last column, the entire amount of gratuity should be mentioned.
अराजपत्रित अधिकारी के मामले में कार्यालय प्रमुख द्वारा भरा जाए।
In case of non-gazetted officer, to be filled by the Head of Office

नामांकनकर्ता का नाम (Nomination by)

पद (Designation)

कार्यालय (Office)

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर
Signature of Head of Office

तारीख (Date)-----

पद (Designation)-----